संख्या-009/वी.जी.एल/056
भारत सरकार
केन्द्रीय सतर्कता आयोग
*****

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली
दिनांक : 28.01.2010

कार्यालय आदेश सं-03/01/10

विषय: शिकायतों तथा द्वितीय चरण सलाह मामलों पर सलाह के लिए आयोग को संदर्भ भेजने के संबंध में स्पष्टीकरण ।

संदर्भ: (i) आयोग के दिनांक 23.09.2003 तथा 01.04.2004 के परिपत्र सं0 002/वी.जी.एल/61
(ii) आयोग का दिनांक 03.08.2001 का परिपत्र सं0 000/वी.जी.एल/187

1. **शिकायतें:**

आयोग द्वारा मुख्य सतर्कता अधिकारी को अन्वेषण करने तथा रिपोर्ट दिए जाने के लिए भेजी गई शिकायत के मामले में, यदि अन्वेषण के बाद यह पाया जाता है कि मामले में सम्मिलित कर्मचारी केन्द्रीय सतर्कता आयोग की अधिकारिता में नहीं आते हैं तो मामले को आयोग को संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है तथा इस पर मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जा सकती है । तथापि, केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा संदर्भित शिकायत पर मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना अनुपालन का निरीक्षण करने के उद्देश्य हेतु आयोग को दी जाए ।

उपर्युक्त प्रबन्ध जनहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण संकल्प के अंतर्गत आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतों तथा जो अन्वेषण किए जाने तथा रिपोर्ट दिए जाने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी को भेजी जाती है उन पर लागू नहीं होता । दूसरे शब्दों में, जनहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण के अंतर्गत आने वाली सभी शिकायतें अन्वेषण किए जाने तथा रिपोर्ट दिए जाने के लिए आयोग द्वारा मुख्य सतर्कता अधिकारी को संदर्भित की जाती है तथा इन्हें आयोग को सलाह के लिए संदर्भित करना आवश्यक है ।

2. **सतर्कता मामले:**

मिश्रित मामलों के संबंध में जहां आयोग ने मामले में शामिल सभी वर्ग के अधिकारियों के लिए अपनी प्रथम चरण की सलाह दी थी वहां आयोग से द्वितीय चरण की सलाह केवल उन अधिकारियों के मामले में लेनी चाहिए जो आयोग की अधिकारिता में आते हैं । आयोग की अधिकारिता में नहीं आने वाले अधिकारियों के संबंध में, मुख्य सतर्कता अधिकारी के स्तर पर मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए, तथा इसे आयोग को द्वितीय चरण की सलाह के लिए तभी संदर्भित करना चाहिए जब अनुशासनिक प्राधिकारी की राय आयोग की सलाह से भिन्न हो । यह प्रक्रिया केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अन्वेषण किए गए मामलों में भी लागू होगी जिनमें ऐसे अधिकारी शामिल हैं जो केन्द्रीय सतर्कता आयोग की अधिकारिता में नहीं आते हैं जिनमें आयोग

ने अपनी सलाह दी थी (ऐसे मामले जहां केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा अनुशासनिक प्राधिकारी के मध्य मतभेद था तथा जिनको सलाह के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग को संदर्भित किया गया था)।

ह0/-
(विनीत माथुर)
निदेशक

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव ।
2. सभी संघ शासित राज्यों के मुख्य सचिव ।
3. केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/बीमा कं0/स्वायत्तसाशी निकायों/समितियों के सभी अध्यक्ष-प्रबंध निदेशक ।
4. मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/बीमा कं0/स्वायत्तसाशी निकायों/ समितियों के मुख्य सतर्कता अधिकारी ।